केवल विभागीय उपयोगार्थ

परिपत्र संख्या- / वर्ष 2010

पत्र संख्या-न्याय-व0प्र0अ0पटल-महत्वपूर्ण निर्णय/ 2010-11 / 1011105 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वाद अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 24 :: मार्च :: 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त एडी0कमि0 ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)/अपील,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णयों के सम्बन्ध में ।

डिप्टी कमिश्नर(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या-6582 दिनांक 14-2-2011 द्वारा रिट पिटीशन संख्या-1791/2004 सर्वश्री ओरियन्टल कार्बन एण्ड केमिकल्स लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य से सम्बद्ध रिट पिटीशन संख्या-1792/04, 1763/06, 1847/06, 1735/06, 1689/06 एवं अन्य के मामले में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16-12-2010 की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए यह अवगत कराया है कि प्रश्नगत मामले में व्यापारी द्वारा वर्ष 200-01 में रू019,92,15,148=00 के कार्बन की बिक्री सर्वश्री मोदी रबर लि0 को किया था जिसको कि व्यापार कर अधिनियम की धारा-4बी के अन्तर्गत मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त था। व्यापारी ने 2.5 प्रतिशत की दर से कर वसूल तथा जमा किया था। करनिर्धारण के समय फार्म दाखिल न किये जाने के कारण इस पर पूर्ण दर से कर आरोपित किया गया था। करनिर्धारण आदेश के विरुद्ध दाखिल प्रथम अपील में केस को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया तथा निर्देश दिया गया कि करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष फार्म दाखिल करने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए। करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष कुछ फार्म-3ख दिनांक 06-5-04 को दाखिल किये गये तथा एक प्रमाण पत्र भी दाखिल किया गया, जिसमें यह प्रमाणित था कि मोदी रबर लि0 का टर्नओवर रू0 25 करोड़ से अधिक है। करनिर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म को इस कारण अस्वीकार किया गया कि यह फार्म दिनांक 01-3-04 को जारी किये गये तथा नियम-25बी के संशोधित हो जाने के कारण फार्म को अस्वीकार करते हुए दिनांक 11-11-04 को करनिर्धारण आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध व्यापारी द्वारा रिट याचिका दायर की गयी, जिसमें कई बिन्दुओं के साथ यह बिन्दु उठाया गया कि विभाग से ही क्रेता को फार्म समय से नही मिले थे। मा0 न्यायालय द्वारा विस्तृत सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया गया कि सर्वश्री के0बी0 हाइड्स बनाम उ0प्र0 सरकार 2004 यू0पी0टी0सी0 292 एवं कमिश्नर आफ सेल्स टैक्स देलही व अन्य बनाम सर्वश्री कृष्णा इंजीनियर्स व अन्य जे0टी0 2005 (1) एस0सी0 563 के निर्णयों के अनुसार व्यापार कर अधिनियम के नियम

12ए, 12बी, 12सी और 25बी में किये गये संशोधन को वैध हैं तथा सभी रिट याचिकायें खारिज की गयी।

एक अन्य निर्णय रिट पिटीशन संख्या-358/07, 359/07, 360/07 व 361/07 सर्वश्री मनोहर लाल हीरा लाल लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के मामले में निर्णय दिनांक 18-1-2011 के अनुसार व्यापारी द्वारा स्टील वायर के निर्माण एवं बिक्री का कार्य किया जाता था। व्यापारी को धारा-4बी के अन्तर्गत मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त था। वर्ष 2000-01 से 2003-04 के करनिर्धारण आदेश पारित करते हुए स्टील वायर के अन्तर्प्रान्तीय बिक्री को इस आधार पर करमुक्त किया था कि स्टील वायर प्रान्त के अन्दर से टैक्स देकर खरीदे गये स्टील राड से बनाया गया है। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1द्वारा उपरोक्त मामले में पुनः करनिर्धारण हेतु इस आधार पर अनुमति दी गयी कि इनके द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 13-9-1990 की शर्तो का अनुपालन नही किया गया। इस आदेश के विरुद्ध व्यापारी द्वारा रिट याचिका दायर की गयी तथा यह बिन्दु उठाया गया कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा-14(IV) (XV) के अन्तर्गत स्टील राड से बनाया गया स्टील वायर एक ही कमोडिटी है। इसलिए कर प्रदत्त स्टील राड से बनाये गये स्टील वायर की केन्द्रीय बिक्री पर कर नही लगेगा। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों का सन्दर्भ देते हुए यह माना गया कि स्टील वायर एवं स्टील राड दोनों भिन्न-भिन्न वस्तुए हैं तथा धारा-21 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही को उचित ठहराते हुए रिट याचिका खारिज कर दी गयी।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा) वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन, अलीगढ़ ने अपने पत्र संख्या-1659 दिनांक 15-2-2011 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय पुनरीक्षण संख्या-60/2011 कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0, लखनऊ बनाम सर्वश्री शौर्या इण्टर प्राइजेज, लखनऊ के मामले में निर्णय दिनांक 10-2-11 की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए यह अवगत कराया है कि इस मामले में घोषणा से अधिक व अवमूल्यन के आधार पर माल का अभिग्रहण किया गया था, जिसे अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल पुनरीक्षण याचिका में देय कर की जमानत प्राप्त करके माल अवमुक्त करने के आदेश दिये गये।

उपरोक्त के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या-6667 दिनांक 17-2-2011 से मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-2-2011 सर्वश्री महावीर टेक्सटाइल्स, प्रिन्स कटरा, हिन्दू बाजार, गोरखपुर के मामले में दायर रिवीजन संख्या-1609/2003, 1610/03, 1611/03, 1612/03, 1645/03, 1647/03 के निर्णय की इण्टरनेट कापी उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार मच्छरदानी का कपडा/मछली पकड़ने के जाल के कपड़े को करनिर्धारण अधिकारी द्वारा करयोग्य एवं घोषित वस्तु माना था, परन्तु अधिकरण द्वारा इसे टेक्सटाइल मानते हुए करमुक्त घोषित कर दिया गया तथा व्यापारी के जमा धनराशि को वापस करने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा रिवीजन दायर किया, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण के निर्णय को निरस्त करते हुए करनिर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की तथा निम्न टिप्पणी की गयी :-

"It is held that H.D.P.E. fabrics is not covered under the textile and not exempted from tax."

अत: मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों की इण्टरनेट प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इन निर्णयों से अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

21/3/11

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पृ0पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ ।
2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/2(उ0न्या0कार्य) वाणिजय कर, इलाहाबाद/लखनऊ ।
3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(अपील) वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(सर्वो0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद ।
5- ज्वाइन्ट कमिश्नर(मैनुअल अनुभाग)वाणिज्य कर, मुख्यालय को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित
6- समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ ।
7- समस्त डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

Suresh-L/3/17/2011/12:06:19 PM/393